

समाहरणालय, कोडरमा
(भू-अर्जन शाखा)

पत्रांक: 242/रा0

दिनांक-09.02.2018

सामाजिक समाघात निर्धारण लोक सुनवाई की अधिसूचना
देखें नियम-7 का उप नियम (1)

भूमि-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा-4 के प्रावधानों के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-2036/रा0 दिनांक 13/12/2017 के द्वारा बरियारडीह मरकच्चो पथ कोडरमा जिला अंतर्गत अंचल मरकच्चो के मौजा-गुरहा, डोंगोडीह, मुर्कमनाई का SIA के लिए Social Action For Rural Development (SARDA), SARDA Bhawan, Chhotki Murram, Ramgarh Cantt, Dist- Ramgarh (JH) का चयन किया गया है। उक्त एजेंसी के प्रबंध निदेशक के पत्रांक संख्या शून्य दिनांक 16/01/2018 द्वारा उक्त परियोजना क SIA का प्रारूप प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। एतद् द्वारा बरियारडीह मरकच्चो पथ कोडरमा जिला अंतर्गत अंचल मरकच्चो के मौजा-गुरहा, डोंगोडीह, मुर्कमनाई भूमि-3.6675 एकड़ का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के प्रतिवेदन के आलोक में अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन प्रत्येक मौजा में लोक सुनवाई करने की स्वीकृति दी जाती है एवं लोक सुनवाई दल का गठन करते हुए अधिसूचना निर्गत की जाती है।

(लोक सुनवाई दल का गठन)

- (1). अध्यक्ष – अपर समाहर्ता, कोडरमा
- (2). सदस्य – जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कोडरमा
- (3). कार्यपालक अभियन्ता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, कोडरमा।
- (4). अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा। (5) अंचल अधिकारी, मरकच्चो (6) मौजा-गुरहा, डोंगोडीह, मुर्कमनाई के मुखिया एवं संबंधित क्षेत्र के वार्ड सदस्य।

मौजावार लोक सुनवाई की तिथि निम्न निर्धारित की गई है:-

क्र0	ग्राम/मौज I	थाना सं0	पंचायत	थाना	अंचल	अधियाचित रकवा	लोक सुनवाई की तिथि एवं समय
1	गुरहा	108	देवीपुर	मरकच्चो	मरकच्चो	2.5425	26.02.2018 (11:00AM)
2	डोंगोडीह	109		मरकच्चो	मरकच्चो	0.0850	
3	मुर्कमनाई	111	मुर्कमनाई	मरकच्चो	मरकच्चो	1.04	26.02.2018 (1:00PM)
कुल :-						3.6675 ए0	

लोक सुनवाई के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप :-

1. परामर्श लेना एवं लोक सुनवाई की विडियो रिकॉडिंग कराना, जनसभा में जुटायी गई सूचनाओं का विश्लेषण करना, प्राप्त सभी आपत्तियों को प्रतिवेदन में सम्मिलित कराना एवं यथा स्थिति सरकार को प्रस्तुत करना। (अधिनियम की प्रपत्र 3 एवं 4 के अनुसार)
2. लोक सुनवाई की प्रक्रिया इस अधिसूचना के निर्गत तिथि से दो माह के अन्दर पूर्ण कर ली जाय एवं अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों के बाद लोक सुनवाई की जाय। लोक सुनवाई की तिथि उपर्युक्त कॉलम में दर्ज है। SIA का प्राप्त प्रतिवेदन हिन्दी भाषा में यथा स्थिति हार्ड कॉपी में सभी सदस्य को उपलब्ध करायी जाय। इसकी प्रति संबंधित ग्राम पंचायत, प्रखण्ड/अंचल कार्यालय, मरकच्चो, अनुमण्डल कार्यालय, कोडरमा जिला भू-अर्जन कार्यालय, कोडरमा एवं अपर समाहर्ता, कोडरमा के कार्यालय में उपलब्ध होंगे तथा जिले के वेबसाईट **www.koderma.nic.in** में भी देखा जा सकता है।

ह0/
उपायुक्त,

